


24/12/20 वकील डिस्ट्रीक्टर उपस्थित। मामला इन्फ्रॉर्मि
डिस्ट्रीक्टर के फलने के कारण पत्रावली को
दावा के निर्णय तक स्थगित किया जा रहा
है। पत्रावली प्राप्त होने पर उजरत
पत्रावली भेजा हो।


उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

